Chief Store Keeper in May, 1984 was reverted to the post of Store Keeper in May, 1985, violating the instructions already issued by the Chairman, Delhi Transport Corporation in April, 1983 to the effect that the employees once promoted may not be reverted;

(b) whether it is also a fact that while reverting him to the lower post after rendering one year's service the case of 1974 of shortage of 11 dynomos was reopened which it was already decided and closed in 1975 after proving that some false entries were made in the bill later on by someone to harm him; and

(c) if so, the reasons for reopening the past case in 1985 after ten years and reverting him to lower post violating the instructions of Chairman?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT) (a) One Scheduled Caste employee of the D.T.C. was reverted from the post of Chief Store Keeper to his substantive post of Store Keeper after he had rendered a year's service because his work during the officiating period was rated below average by his superiors. This was not in violation of any instructions of the Chairman-cum-Managing Director on the subject as on such instructions exist.

Certain instructions, regarding cases where reversion may be contemplated during the pendency of a disciplinary case do exist but these are not applicable in the instant case.

(b) No, Sir

(c) Does not arise.

Contracts earned by IRCON

1252. SHRI M. KADHARSHA:

SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:

Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the number of contracts earned by the India Railway Construction Company during the last three years; and

(b) what is the number of contracts fully executed by the Indian Railway Construction Company and what are the details of profits earned therefrom, both in foreign exchange and Indian currency?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT of RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) IRCON have during 1983-84, 1984-85 and 1985-86, secured 24 contracts.

(b) The Company has since inception in 1976 fully executed 16 contracts in India and 5 contracts abroad earning a total profit of Rs. 283 lakhs approximately out of which Rs. 123 lakhs were in foreign exchange.

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स द्वारा दिल्ली में रेलवे की भूमि पर कब्जा

1253. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स के प्रबन्धकों ने दिल्ली में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तथा उस भूमि पर अपनी फैक्ट्री बना ली है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी भूमि पर कब से अवैध कब्जा कर रखा है ;

(ग) उन पर कितना रुपया बाकी है तथा उसे वसूल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उस अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) रेलवे भूमि मैसर्स ओरियंटल बिल्डिंग एण्ड फर्निशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली के अनधिकृत कब्जे में है (जिसका मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (प्रा) लिमिटेड एक सहयोगी प्रतिष्ठान है) ।

(ख) क्षेत्रफल-2743 वर्ग गज
अनधिकृत कब्जा 1.1.1973 से है ।

(ग) विवाचक ने निम्नलिखित राशियों के लिए अधि-निर्णय दिया है :—

(1) 31-12-1982 को समाप्त होने वाली अवधि तक बकाया किराये की भुगतान न की गयी शेष राशि 19,34,802.48 रुपये

(2) 31-12-1982 तक देय बकाया राशि पर ब्याज 14,66,802.80 रुपये

34,01,605.28 रुपये

(3) 31.12.82 को देय कुल बकाया राशि पर न्यायालय का नियम बनाने के लिए न्यायालय में पंचाट दायर किये जाने के समय तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और तत्पश्चात् उस माननीय न्यायालय द्वारा, जहां पंचाट दायर किया गया है, जो निर्धारित की जाये उसके अनुसार विवाचक का अधिनिर्णय न्यायालय में दायर करने के लिए रेलवे ने 9.11.84 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया था। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

(घ) रेलवे ने सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पार्टी के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी कार्रवाई प्रगति पर है। रेलवे को देय राशि वसूल करने तथा रेलवे की भूमि से पार्टी को बेदखल करने की कार्रवाई संबंधित न्यायालयों में चल रही है।

दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

1254. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रेलवे की बहुत सारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी जमीन किन-किन लोगों के कब्जे में है; और

(ग) अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली में रेलवे की लगभग 11 हेक्टेयर भूमि अनधिकृत कब्जे में है। अतिक्रमणों की संख्या 7328 है।

(ग) नये अतिक्रमण रेल प्रशासन द्वारा विभागीय तौर पर हटा दिये जाते हैं, जबकि पुराने अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। झुग्गी/झोंपड़ियां दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन की सहायता से हटायी जाती है।

Panel on the problems faced by transporters

1255. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up a panel on the problems being faced by transporters in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the report is likely to be submitted by the panel; and

(d) what are the details of the problems being faced by the transporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) Delhi Administration have intimated that with regard to the problems being faced by transporters in Delhi, periodical inter-Departmental reviews are undertaken on the measures to solve their problems. Director of Transport, Delhi Administration, coordinates inter-Departmental actions. Recently, Chief Executive Councillor had also taken a Special Meeting to discuss the problems of transporters.

The Transport Operators have recently brought to the notice of Delhi Administration their specific problems and represented for suitable—